

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of:—

Not applicable

- (i) Director (Administration) Central Ground Water Board —Chairman
- (ii) A Group 'A' Officer in the Central Ground Water Board —Member
- (iii) Administrative Officer, Central Ground Water Board —Member

[F. No. 23/09/2009-CGWB]

N. K. GUPTA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 274, dated the 22nd July, 2000.

नई दिल्ली, 3 जून, 2010

सा.का.नि. 99—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड तकनीकी प्रचालक (भंडार) भर्ती नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड तकनीकी प्रचालक (भंडार) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड तकनीकी प्रचालक (भंडार) भर्ती नियम, 1986 में की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	----------------	----------	---------------------------------	------------------	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीकी प्रचालक (भंडार)	41* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक

(7)

तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :

लागू नहीं होता

दो वर्ष

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य।

वांछनीय :

भंडार लेखा से संबंधित कार्य करने और रखने का एक वर्ष का अनुभव।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।

(13)

(14)

पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :

लागू नहीं होता।

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. निदेशक, (प्रशासन) | —अध्यक्ष |
| 2. कार्यपालक इंजीनियर | —सदस्य |
| 3. प्रशासनिक अधिकारी | —सदस्य |

[फा. सं. 23/20/2009-के. भू. ज. बो.]

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. सं. 779, तारीख 20 सितंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 54, तारीख 27 जनवरी, 2001 द्वारा संशोधन किए गए।

New Delhi, the 3rd June, 2010

G. S. R. 99.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board Technical Operator (Store) Recruitment Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board Technical Operator (Store) Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board Technical Operator (Store) Recruitment Rules, 1986 for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band, and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection or Non-Selection post	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Technical Operator (Store)	41*(2010) *Subject to variation on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-I, Rs. 5200—20200+ Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	No	Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servant upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

(7)

Note 1:—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Note 2 : In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential : Matriculation from a recognised Board or equivalent; Desirable : One year experience in handling and maintenance of Stores accounts.	Not applicable	Two years
Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made	
(11)	(12)	
Direct Recruitment	Not applicable	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of :—

Not applicable.

- (i) Director (Administration) —Chairman
(ii) Executive Engineer —Member
(iii) Administrative Officer —Member

[F. No.-23/20/2009-CGWB]

N. K. GUPTA, Under Secy.

Note: The principal rules were published *vide* number G.S.R. 779 dated the 20th September, 1986 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 54, dated the 27th January, 2001.

नई दिल्ली, 3 जून, 2010

सा.का.नि. 100.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, तकनीकी आपरेटर (ड्रिलिंग) भर्ती नियम, 1986 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, तकनीकी आपरेटर (ड्रिलिंग) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, तकनीकी आपरेटर (ड्रिलिंग) भर्ती नियम, 1986 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तकनीकी आपरेटर (ड्रिलिंग)	768* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के मामले में सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से